

## बुजुर्गों के लिये जानकारी

यह बुजुर्गों के लिये जानकारी पर्चों की कड़ी में से एक है।  
अन्य पर्चे निम्न हैं:

### बुजुर्गों के प्रति अनुचित व्यवहार व उपेक्षा तथा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम

- बुजुर्गों के प्रति अनुचित व्यवहार व उपेक्षा - क्या यह एक अपराध है?
- पुलिस को अपराधों की रिपोर्ट करना तथा रिपोर्ट करने के बाद क्या होता है
- अनुचित व्यवहार व उपेक्षा की अडल्ट गार्डियनशिप एक्ट भाग 3 के अंतर्गत रिपोर्ट
- कानूनी सहायता कहाँ से लें
- अपने जीवन कार्यों के प्रबन्ध में सहायता के लिये अन्य लोगों को अधिकार देना

बहुत सी ऐसी स्थितियाँ जिनमें बुजुर्गों के विरुद्ध अपराध शामिल हैं पुलिस को रिपोर्ट की जा रही हैं। अंशतः, यह इसलिये है क्योंकि पुलिस व जनता समुदायों में इस विषय पर मिलकर काम कर रहे हैं कि जब वे खतरे में हों तो वृद्धों की रक्षा की जा सके।

स्वभाविक रूप से, प्रश्न है कि जस्टिस सिस्टम कैसे काम करता है।

### पुलिस की भूमिका

पुलिस छानबीन करती है:

- सुरक्षा के मुद्दों की, विशेषकर यदि वह व्यक्ति जो कि खतरे में है अपने लिये सहायता लेने में असमर्थ है,
- अपराधों की रिपोर्ट के बारे में,
- संदेहास्पद गतिविधियों की जो कि पुलिस को यह विश्वास करने पर बाध्य करें कि अपराध घटित हुआ है।

### अक्सर पुलिस की छानबीन में क्या शामिल होता है?

पुलिस की छानबीन में अक्सर [निम्न] शामिल होता है:

- रिपोर्ट बनाने के लिये वे शिकार हुये व्यक्ति तथा किसी साक्षी या गवाह की इंटरव्यू लेते हैं
- प्रमाण एकत्र करते हैं
- शिकार व गवाह के बयान लेते हैं
- चिकित्सा संबंधी न्यायालयिक प्रमाण इकट्ठे करते हैं (न्यायालयिक प्रमाण न्यायालय में प्रयुक्त किये जाते हैं)
- अपराध के घटनास्थल को वैसा ही रखते हैं, इसे घटनास्थल की सुरक्षा भी कहते हैं
- संदेहास्पद अपराधी का इंटरव्यू लेते हैं तथा, कई मुकदमों में उसे गिरफ्तार कर लेते हैं।

### पुलिस गिरफ्तार कब करती है?

जब पर्याप्त प्रमाण एकत्रित हो जाते हैं कि अपराध घटित हुआ है, तो पुलिस संदेहास्पद अपराधी को गिरफ्तार कर लेती है। यह गिरफ्तारी संदिग्ध की पहचान को निश्चित करके की जाती है, ताकि वह ऐसे ही और अपराध न कर पाये या शिकार हुआ व्यक्ति सुरक्षित रह सके।

## अपराधी के गिरफ्तार होने पर क्या होता है?

जब एक अपराधी गिरफ्तार होजाता है तो पुलिस [निम्न] करेगी:

- 1) यदि उन्हें यह विश्वास हो कि यह व्यक्ति दूसरों के लिये खतरा हो सकता है या वह अपेक्षित रूप से कोर्ट में उपस्थित नहीं होगा, तो व्यक्ति को हिरासत में रखेगी। सरकारी वकील अभियुक्त को न छोड़ने के कारण बताने के लिये प्रथमिक जांच या पेशी से पहले एक “शो कॉज़ हियरिंग” यानि कि कारण बताने की सुनवाई रखेगी।  
या,  
2) या व्यक्ति को किन्हीं शर्तों पर छोड़ देगी।

## पुलिस सरकारी वकील के लिये एक रिपोर्ट तैयार करती है

यदि पुलिस को विश्वास है कि अपराध घटित हुआ है, तो वे सरकारी वकील को दोषारोपण की सलाह देते हुये एक रिपोर्ट तैयार करते हैं।

इस रिपोर्ट को रिपोर्ट टू क्राउन काउंसिल (आर टी सी सी) कहते हैं।

कभी-कभी इसे दोषारोपण की “विशेष बातें” भी कहा जाता है। पुलिस की छानबीन व दोषारोपण तथा गिरफ्तारी के समय के हालातों पर जो जानकारी व तथ्य पुलिस को मिलते हैं, वे रिपोर्ट में शामिल होते हैं।

## सरकारी वकील की भूमिका

सरकारी वकील पुलिस की रिपोर्ट को देखकर निर्णय लेते हैं कि संदेहास्पद अपराधी पर अभियोग लगना चाहिये। अपराध करने वाले व्यक्ति को बंदी बनाने के लिये पर्याप्त प्रमाण ही सरकारी वकील के इस निर्णय का आधार होता है। सरकारी वकील यह भी सोचते हैं कि इस व्यक्ति को बंदी बनाना जनता के भले के लिये है। वह निर्णय लेते समय मुकदमें के हालातों तथा स्थानीय समुदाय की चिंताओं को ध्यान में रखते हैं।

दोषारोपण का निर्णय लेते समय, सरकारी वकील निम्न पर भी विचार करते हैं:

- अभियोग की गंभीरता
- कि उस व्यक्ति को जो इस अपराधी का शिकार हुआ है काफी नुक्सान पहुँचा है
- किसी हथियार का प्रयोग हुआ है
- कि अपराध का शिकार अति संवेदनशील स्थिति में है
- कि अपराधी पिछले किये हुये अपराधों में भी अभियुक्त हुआ है
- कि अभियुक्त व्यक्ति विश्वास करने योग्य स्थिति में था
- कि अपराध सताये गये व्यक्ति की जाति, मूल-स्थान, रंग, धर्म, लैंगिकता, उम्र, मानसिक या शारीरिक अयोग्यता, राजनैतिक विचार, या कामुकता से अनुस्थापित है
- कि अपराधी तथा सताये गये व्यक्ति की वास्तविक उम्र या मानसिक उम्र में ज़मीन आसमान का अंतर है
- कि जब अपराध किया गया उस समय आरोपित अपराधी कोर्ट के किसी हुक्मनामे से बद्ध था
- कि अपराध, यद्यपि इतना गंभीर नहीं है, किंतु जिस क्षेत्र में घटित हुआ वहाँ पूरी तरह से फैला हुआ है।

## दोषारोपण

यदि सरकारी वकील फैसला करते हैं कि आरोपित व्यक्ति बंदी बनाना चाहिये, एक “जानकारी” तैयार की जाती है जो बताती है कि आरोप क्या है। एक सुलहकार जज पुलिस अफसर को “जानकारी की सौगंध” लेने को कहेगा।

यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि जिस व्यक्ति पर अपराध का दोषारोपण हुआ है उसे दंड न्यायालय में दोषों पर कार्यवाही करने के लिये वकील की आवश्यकता होगी। पीड़ित को दोषारोपण के लिये आरोपी के विरुद्ध वकील की आवश्यकता नहीं है। सरकार की ओर से अपराधी के विरुद्ध सरकारी वकील कार्यवाही करेंगे।

## विक्टिम सर्विस वर्कर की भूमिका

अपराध से पीड़ित व्यक्ति को न्याय पद्धति की कठिनइयों से निकलने के लिये विक्टिम सर्विस वर्कर जानकारी, व्यावहारिक सहायता, तथा भावनात्मक सहारा प्रदान करता है। सरकार द्वारा समर्थित ये कार्यक्रम पुलिस व समुदाय के साथ मिलकर काम करते हैं।

विक्टिम सर्विस वर्कर पीड़ित व्यक्ति को पुलिस व सरकारी वकील से अपने केस के बारे में जानकारी प्राप्त करने में सहायता करता है। विक्टिम सर्विस वर्कर पीड़ित व्यक्ति की विशेष जरूरतों तथा चिंताओं के बारे में पुलिस या सरकारी वकील को जानकारी भी प्रदान कर सकता है।

- **समुदाय-आधारित विक्टिम सर्विस कार्यक्रम** – ये कार्यक्रम पूरे प्रांत में सामुदायिक एजेंसियों के द्वारा प्रदान किये जाते हैं। कुछ परिवार तथा लैंगिक हिंसा में विशिष्टता रखते हैं तथ अन्य मूल कैनेडा वासियों और विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों से सम्बद्ध लोगों की सेवा करते हैं।
- **पुलिस-आधारित विक्टिम सर्विस कार्यक्रम** - ये कार्यक्रम, जो कि अधिकतर पूरी बी. सी. के कई समुदायों में पुलिस के अड्डों में स्थित हैं, किसी भी अपराध से पीड़ित हुये व्यक्तियों के साथ काम करते हैं चाहे वह सम्पत्ति या व्यक्ति के विरुद्ध हो, और जिस समय पुलिस को इस अपराध की रिपोर्ट मिलती है अक्सर वे तभी से [केस में] शामिल होते हैं।
- **विक्टिमलिंग** – यह प्रांत की टौल फ्री टैलीफोन सेवा है जो कि अपराध से पीड़ित सभी व्यक्तियों को जानकारी व हवाले की सेवा देती है तथा परिवार व लैंगिक हिंसा से पीड़ित व्यक्तियों को संकट में तात्कालिक आश्रय देती है। दिन के 24 घंटे व सप्ताह के 7 दिन 1-800-563-0808 पर टौल फ्री फोन करें। यह एक बहुभाषीय और टी टी वाई सेवा है। बहरे व कम सुनने वाले टी टी वाई को 604-875-0885 पर फोन कर सकते हैं।

## मुआवजा या अपराध से हस्तगत सम्पत्ति को वापस पाना

अपराध संहिता कहती है कि कोर्ट की आज्ञा से पीड़ित व्यक्ति को एक अपराधी से मुआवजा मिल सकता है तथा अपराध से हस्तगत की गई सम्पत्ति भी वापस मिल सकती है। कुछ मुकदमों में, भुगतान परख अवधि [प्रोबेशन] या क्षतिपूर्ति [रैस्टीच्यूशन] का भाग भी हो सकता है। यह तभी संभव है यदि कोई प्रत्यक्ष चोरी हुई हो और हानि की मात्रा के बारे में कोई शक या गड़बड़ी न हो या मूल्य के बारे में कोई विवाद न हो।

ब्रिटिश कोलम्बिया में अपराध के शिकार हये व्यक्ति को वित्तीय मुआवजा मिल सकता है चाहे दोषारोपण न भी हो। क्राइम विक्टिम असिस्टेंस प्रोग्राम को 604-660-3888 पर या दावा करने के बारे में अधिक जानकारी के लिए 1-866-3888 पर टोल फ्री फोन करें।

दीवानी मुकदमे या कानूनी अभियोग के द्वारा भी सामान का मुआवजा या अपराधी से सामान वापस पाया जा सकता है। इसमें समय की कुछ पाबंदियाँ शामिल हैं, इसलिए जितनी जल्दी हो सके कानूनी सलाह लें।

## शिकायतें या पुनरावेदन

### पुलिस के बारे में

ब्रिटिश कोलम्बिया में, दो प्रकार की पुलिस सेना है: आर सी एम पी तथा निगम पुलिस। कुछ समुदायों में फ़र्स्ट नेशज़ पुलिस सेना भी है।

यदि आपके पास कोई कोई प्रश्न या चिंता है कि पुलिस ने मामले को कैसे संभाला है, पहले तो आप उस अफसर या उसके वरिष्ठ अधिकारी से बात करें। कई गलतफहमियाँ या गलत समझ इसी स्तर पर दूर की जा सकती है।

यदि समस्या का समाधान नहीं हुआ है तथा शिकायत निगम पुलिस के बारे में है या फ़र्स्ट नेशज़ पुलिस के बारे में है तो, पुलिस कम्प्लेंट कमिश्नर से सम्पर्क करें। वैक्यूअर में (604) 660-2385 पर फोन करें। कम्प्लेंट प्रक्रिया पर अधिक जानकारी के लिए, *इफ यू हैव ए कम्प्लेंट अगेंस्ट पुलिस इन बीसी* पर्चा देखें।

रौयल कनेडियन माउंटिड पुलिस के विरुद्ध शिकायत करने के लिए, कमीशन फॉर पब्लिक कम्प्लेंट्स अगेंस्ट द आर सी एम पी से सम्पर्क करें। टोल फ्री: 1-800-665-6878 फोन करें। अधिक जानकारी के लिए *कमीशन फॉर पब्लिक कम्प्लेंट्स अगेंस्ट द आर सी एम पी* पर्चा देखें।

### सरकारी वकील के बारे में

यदि सरकारी वकील ने दोषारोपण न करने का फैसला लिया है जबकि आपका विश्वास है कि आरोप लगना चाहिये, आप सरकारी वकील से *विक्टिम ऑव क्राइम एक्ट* के तहत स्पष्टीकरण के लिए कह सकते हैं। या, यदि आप किसी बुजुर्ग की सहायता कर रहे हैं जो स्वयं स्पष्टीकरण के लिए पूछ नहीं सकता, आप बुजुर्ग की ओर से यह अनुरोध कर सकते हैं।

कानून व अपने अधिकारों के बारे में अधिक जानकारी के लिये, यदि आप लोअर मेनलैंड में रहते हैं तो बीसी सी ई ए एस को 604 437-1940 पर या पूरे प्रांत में कहीं से भी 1 866 437-1940 पर टोल फ्री फोन करें।

*यह जानकारी पर्चा सरी हैल्थ ग्रांट की कम्युनिटी, फ़ेज़र हैल्थ अथॉरिटी की वित्तीय सहायता से विकसित किया गया।*